

आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार ग्राम पंचलंगी निवाले जमाबंदी संवत् 2075-78 के मुताबिक जमीन खाता नं. 88 का नाम रघुवीर सिंह पु. बाबुराम वर्मा है जबकि प्रार्थी के आधारभूत व पैन कार्ड में रघुवीर सिंह पु. बाबुराम वर्मा है। अतः प्रार्थी का नाम रघुवीर सिंह पु. बाबुराम वर्मा रखकर इस आदेश का क्रमबद्ध प्रस्ताव है।

ग्राम पंचायत-पंचलंगी
 पंच. सदस्य उदयपुरवाटी (शुद्ध)
 कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी
 दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निकाल है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभियंता की जाची है/नहीं की जाती है।

उक्त जमा-जाना उचित है

प्रशासन भागों के संग अभियान 202

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला शुद्ध (राज.)
 :- आदेश :-

प्रशासन भागों के संग अभियान 202

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	पंचलंगी	2075-2078	88	रघुवीर सिंह पु. बाबुराम	रघुवीर सिंह पु. बाबुराम

नोट :-शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहना हो तो रहना मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक :- 15/1/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/2296
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्तो पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूवनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी